## न्यायालय      पखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबूलाल जाट (RAS)

राजस्व वाद संख्या 115/2018 **RCMS 2018/00202**

वादी

1. हेमराज पुत्र नुन्दाराम जाति जाट उम्र 53 वर्ष निवासी राणासर तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

***बनाम***

**प्रतिवादीगण :–**

1. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी)
2. किशनीदेवी पत्नी स्व. रामूराम जाति जाट निवासी राणासर तहसील कुचामनसिटी
3. नवरत्न पुत्र रामूराम जाति जाट निवासी राणासर तहसील कुचामनसिटी
4. हरूराम पुत्र दूलाराम जाति जाट निवासी राणासर तहसील कुचामनसिटी
5. मगनाराम पुत्र परसाराम जाति जाट निवासी राणासर तहसील कुचामनसिटी
6. लिखमाराम पुत्र परसाराम जाति जाट निवासी राणासर तहसील कुचामनसिटी
7. श्रवण कुमार पुत्र परसाराम जाति जाट निवासी राणासर तहसील कुचामनसिटी
8. मोहनराम पुत्र देवाराम जाति जाट निवासी राणासर तहसील कुचामनसिटी
9. गणेशाराम पुत्र नूंदाराम जाति जाट निवासी राणासर तहसील कुचामनसिटी
10. भागुराम पुत्र नूंदाराम जाति जाट निवासी राणासर तहसील कुचामनसिटी
11. रतनलाल पुत्र नूंदाराम जाति जाट निवासी राणासर तहसील कुचामनसिटी
12. गोदावरी पुत्री नूंदाराम पत्नी चन्द्राराम जाति जाट निवासी भींचावा तहसील मकराना
13. सुखीदेवी पुत्री नूंदाराम पत्नी दुर्गाराम जाति जाट नि. भींचावा तहसील मकराना
14. कमलादेवी पुत्री नूंदाराम पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट नि. चारणवास तह.कुचामन
15. सन्तोषदेवी पुत्री नूंदाराम पत्नी मनोहरलाल जाट नि. बावड़ी तहसील डीडवाना
16. शाखा प्रबन्धक यूको बैंक शाखा कुचामनसिटी जिला नागौर
17. शाखा प्रबन्धक मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा कुचामनसिटी जिला नागौर
18. उप पंजीयक कुचामनसिटी

**दावा :–इस्तकरार हक, भू–विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत**

**अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 R.T.Act 1955**

**प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 2 नियम 2 व धारा 151 सी.पी.सी. दिनॉक 4.9.19**

**उपस्थित :– श्री मोहम्मद हनीफ अधिवक्ता वादी की ओर से।**

**श्री पुष्पेन्द्रसिंह मेड़तिया अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 6 की ओर से ।**

निर्णय

Signature Not Verified

दिनॉक :– 30-01.2020

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 11:01:37 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी लिखमाराम [illegible] दिनांक 04.9.2019 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 02 नियम 2 व धारा 151 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत कर कथन किया है कि पूर्ववर्ती वाद सं. 156/2017 किशनीदेवी बनाम हरलाराम वगैरह में वादी पक्षकार प्रतिवादी सं. 6 हेमराज है तथा वादी द्वारा उक्त वाद में अपना जवाब दावा

...2...

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

पेश किया है जिसके साथ प्रतिदावा काउन्टर क्लेम पेश कर अपने हिस्से 0.24 हैक्टर भूमि खसरा नम्बर 211 रकबा 1.65 हैक्टर में से विभाजन चाहा है तथा शेष 0.551 हैक्टर भूमि का विभाजन चाहा है तथा विभाजन की डिक्री चाही गई है इसके अलावा इसके साथ कोई अनुतोष नही चाहा गया है प्रतिदावा भी एक प्रकार का वादी के खिलाफ दावा होता है जिसमे प्रतिवादी को बंटवारे के अनुतोष के साथ अपने सभी अनुतोष मांग लेने चाहिए थे किसी भी अनुतोष को छोड़ना नही चाहिए था छोड़े गये अनुतोष के लिए वह पृथक से वाद नही ला सकता है तथा ऐसा लाया गया वाद चलने योग्य नही होता है काबिल खारिज किये जाने योगय होता है, पश्चातवर्ती वाद सं. 115/2018 हेमराज बनाम राजस्थान सरकार में भी वही पक्षकारान वादी प्रतिवादीगण है जो पूर्ववर्ती वाद सं. 156/2017 किशनीदेवी बनाम हरलाराम में है तथा वाद विषयक भूमि के खसरा नम्बरान भी वही है उपरोक्त वाद सं. 115/2018 हेमराज बनाम राजस्थान सरकार में वादी द्वारा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष नया बंटवारे के साथ चाहा गया है जबकि बंटवारे का अनुतोष पूर्ववर्ती वाद में प्रतिदावे के रूप में मांगा जा चुका है वादी द्वारा पूर्वतवर्ती प्रतिदावें में घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष भी मांग लेना चाहिए था उसे छोड़ा जाना नही चाहिए था अब छोड़े गये अनुतोष के लिए वादी नया वाद संस्थित नही कर सकता है वह इसके लिए पूर्णतः बाधित है आदेश 2 नियम 2 सी.पी.सी. के प्रावधान है कि वादी को सभी अनुतोष एक ही वाद में मांग लेने चाहिए जो संभावित हो अगर वादी द्वारा कोई अनुतोष छोड़ दिया जाता है तो व छोड़े गये अनुतोष के लिए नया वाद संस्थित नही कर सकता है ऐसा ववाद चलने योग्य नही है काबिल खारिज किये जाने योग्य है, वादी द्वारा संस्थित वाद सं. 115/2018 हेमराम बनाम राजस्थान सरकार सीपीसी के आदेश 2 नियम 2 द्वारा बाधित होने से काबिल खारिज किए जाने योग्य है अतः वाद वादी चलने येगय नही होने से मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जावे।

वादी एवं उनके अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थना–पत्र में जिस प्रकार कथन अंकित किये गये है पूर्णतया *Unnecessary* , Frivolous and vexatious है प्रतिवादी सं. 6 ने अपने प्रार्थना–पत्र में अभिकथित कथनो की तथ्यो की पुष्टि स्वरूप जानबूझकर न्यायालय के सन्तोष तक वाद में वादी एवं प्रतिवादी तथा काउन्टर क्लेम में चाहा गया अनुतोष का वर्णन नही किया है, चूँकि विधि का यह प्रतिपादित सिद्धान्त है [illegible] include the whole claim दावा में यदि claim की उपलब्धता आवश्यक है [illegible] claim के दावा नही होता है इस परिप्रेक्ष्य मे आवदेन लिखमाराम को अपने साक्ष्य व सबूत से यह प्रमाणित करन है कि आवेदन में वर्णित तथाकथित काउन्टर क्लेम में उत्तरदाता वादी ने न्यायालय से अपने प्रतिदावा के सम्बन्ध में कौन कौन से क्लेम चाहे गये है, काउन्टर क्लेम एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 11:01:37 IST
Reason: SelfAttested

...3...

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
उपखण्ड अधिकारी

मूल वाद में काफी फर्क होता है काउन्टर क्लेम में set off होता है एवं प्रतिदावा का सीमित scope and limitation होता है इसलिए अलग अलग बिनाय दावा के आधार पर पृथक दावा भी किया जा सकता है, विधि का यह सिद्वान्त प्रतिपादित है कि "if claim in subsequent suit if founded on different cause of action then rule 2 in no bar ''. आवेदक लिखमाराम का यह कहना भी निराधार है कि किसी भी अनुतोष को छोड़ने से पृथक वाद नही लाया जा सकता है,चूँकि वादी उत्तरकर्ता दावा दायरी के पिछले दिनो में प्रतिवादीगण द्वारा जबरन कब्जा करने की लगातार धमकिया देने के कारण वादपत्र में अनुतोष संलग्न नक्शा मं अंकित अनुसार राजस्व रेकर्ड में तरमीम की डिक्री कर बंटवारा वास्ते वादी द्वारा हस्तगत वाद किया गया है लिखमाराम ने अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में शपथ–पत्र भी पेश नही किया है इसलिये भी लिखमाराम का आवेदन खारिज किये जाने योग्य है। न्यायालय द्वारा वाद सं. 157/17 एवं वाद सं. 115/18 दोनो दावो के अभिवचनों के बिनाय दावा भिन्न भिन्न होने के कारण दावा दर्ज किया गया है,115/18 इसलिए वादी का प्रतिवादीगण के विरूद्व बिनाय दावा के आधार अनुतोष की मांग की है, बंटवारे के वाद में मियाद आडे नही आती है continuing casue of action होने के कारण आवेदन द्वारा वर्णित आदेश 2 नियम 2 सी.पी.सी का bar applicable नही होता है, वादी ने बेवजह वाद की कार्यवाही को अनावश्यक उलझाने frivolous and vexatious के लिए जवाब दावा पेश करने से बचने के लिए यह आवेदन पेश किया गया है इस वाद के बिना जवाब दावा एवं विवाद्यक एवं साक्ष्य सबूत के bar applicable नही होता है इसलिए आवदेन सन्धार्य नही होने के कारण काबिल खारिज है अतः लिखमाराम का आवेदन पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना–पत्र पर उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई, दोनो ही पक्षो द्वारा प्रार्थना–पत्र वर्णित तथ्यो को दोहराया है। प्रतिवादी की ओर से फार्म नं. 3 के साथ हेमराज द्वारा वाद सं. 156/17 किशनी देवी बनाम हरलाराम वगैरह में प्रस्तुत जवाब दावा एवं काउन्टर क्लेम की छाया प्रति वाद पत्र एवं आदेशिकाओ की छाया प्रति प्रस्तुत की है, वादी हेमराज की ओर से माननीय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कुचामनसिटी के एफ आर सं. 65/2017 छोटीदेवी दिनॉक 21.05.2019 की छाया प्रति प्रस्तुत की है। एफ.आर. 65/[illegible] देवी जो कि हेमराज की पत्नी है उसके द्वारा अन्य पक्षकारान के विरूद्व [illegible] प्रस्तुत की है जिसमें इस वाद के किसी भी का कोई लेना [illegible] देवी उक्त वादग्रस्त भूमि में खातेदार भी नही है। प्रतिवादी वकील द्वारा p[illegible]ood kumar & anr. Vs. Zalak singh & Ors. 2019 DNJ (sc) 669 की प्रति प्रस्तुत की। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया,वादी हेमराज द्वारा प्रश्नगत वादग्रस्त भूमि के संबंध

...4...

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 11:01:37 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

में पूर्व में विचाराधीन वाद सं. 156/2017 में दिनॉक 23.03.18 को अपना जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रतिदावा प्रस्तुत कर ग्राम राणसर के खसरा नम्बर 211 रकबा 1.65 हैक्टर में से 0.24 हैक्टर को बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस भूमि का बंटवारा किया जाकर सेपरेट होल्डिंग कायम की जाने का अनुतोष चाहा है, वर्तमान वाद सं. 115/18 हेमराज बनाम सरकार दिनॉक 22.05.2018 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भी खसरा नम्बर 211 में से उक्त अनुसार बंटवारा का अनुतोष चाहा गया है। दोनो वाद का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि वादी हेमराज को पूर्ववर्ती वाद की जानकारी होते हुए एवं उसके द्वारा जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत करने के पश्चात भी नया वाद प्रस्तुत किया है, जिस पर प्रस्तुत नजीर pramood kumar & anr. Vs. Zalak singh & Ors. 2019 DNJ (sc) 669 चस्पा होती है तथा आदेश 2 नियम 2 लागू होते है। वादी का वाद सन्धार्य नही होने से काबिल खारिज है।

## आदेश

वाद वादी सन्धार्य नही होने से खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

आदेश आज दिनॉक 30/01/2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबूलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 11:01:37 IST
Reason: SelfAttested

Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2020.01.31 12:28:27 IST
Reason: SelfAttested
Location: